सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

28 ज्येष्ठ, 1948 (श०)

संख्या - 339 राँची, गुरुवार, 18 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

10 जून, 2026

संख्याः-11/सू०अ०अधि०-03-15/2014 का० 3761--झारखण्ड के माननीय राज्यपाल सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15 (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को झारखण्ड राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त करते है :-

(i) श्री अनुज कुमार सिन्हा,

पिता-श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा,

फ्लैट नं०-02 ए, श्रीवाटिका अपार्टमेंट,

चेशायर होम रोड, दीपाटोली, थाना-सदर, राँची, झारखण्ड।

(ii) श्री तनुज खत्री,

पिता-श्री देवराज खत्री,

इन्द्रपुरी रोड नं०-09, रातु रोड, थाना-सुखदेवनगर, राँची, झारखण्ड।

(iii) श्री अमुल्य नीरज खलखो,

पिता-स्व० जफरीन खलखो,

ग्राम-पुराना लोवाडीह, पो०+थाना-नामकुम, राँची, झारखण्ड।

(iv) श्री शिवपूजन पाठक,

पिता-स्व० नरसिंह पाठक,

नयी बस्ती, पिंजड़ापोल, अपर बाजार थाना कोतवाली, राँची, झारखण्ड ।

2. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-16 (3) के आलोक में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति उनके शपथ ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी। सूचना आयुक्त के पद पर कार्यकाल 03 (तीन) वर्ष अथवा 65 (पैंसठ) वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक रहेगा।

अविनाश कुमार,

सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 339 - 50